

166  
22

पत्रावली पेश। वादी की ओर से कोई उपस्थित  
नहीं। वादी एवं कौल वादी को पुरे

न्यायालय में जा-जा जोर-जोर से आवाजें  
बगाई-गई लेकिन फिर भी न्यायालय में  
उपस्थित नहीं। अतः यह पत्रावली अदम दायरी  
एवं अदम कैरवी में इसी स्तर पर खतरा  
की जाती है। वाद तरीक तमसील होकर  
हाजिल दफ्तल हो।

  
(डा. वि. ए. ए.)  
उपखण्ड अधिकारी  
घडसाना